

IV 30/10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 671865

न्यास पत्र

10 SEP 2018
कीमत Rs..10000/-

जनकल्याण वेलफेर ट्रस्ट

स्टाम्प Rs.1000/-

(JAN KALYAN WELFARE TRUST)

(धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास)

आज दिनाक 02/09/2018 को मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री खुशीराम सिंह पुत्र श्री जसराम सिंह ने बैठक करके जनकल्याण वेलफेर ट्रस्ट का गठन किया गया जिसका विवरण न्यास पत्र में हम निम्नलिखित न्यास के संस्थापकगण धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास गठित करते हैं




क्र० सं०	न्यास के संस्थापकगण	पता	पद	मोबाइल	आधार
1	श्री खुशीराम सिंह पुत्र जसराम	ग्राम बल्लमगढ़ पोस्ट सुरजननगर तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद	अध्यक्ष	9719926185	841131449970
2	राधेश्याम पुत्र भूरे सिंह	ग्राम व पोस्ट लोंगी कलां तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद	कोषाध्यक्ष	7500929374	765597466416
3	पवन कुमार पुत्र श्री जसराम सिंह	ग्राम बल्लमगढ़ पोस्ट सुरजननगर तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद	सचिव	7247825420	439789748890
4	श्रीमति संगीता पत्नि श्री खुशीराम	ग्राम बल्लमगढ़ पोस्ट सुरजननगर तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद	सदस्य	8218607604	410132284637

X Singh

Realty

Rajiv

Sanj





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

EH 295386

1- न्यास का नाम

जनकल्याण वेलफेर ट्रस्ट

2- न्यास का प्रधान कार्यालय : ग्राम-बल्लमगढ़ पोस्ट-सुरजननगर तहसील-ठाकुरद्वारा

३- न्यास के उद्देश्य

जिला-मुरादाबाद ३० प्र०

सामाजिक -

- 1- भारतीय नागरिकों का स्तर ऊँचा उठाने के लिए एकता मंच आयोजन कराना
 - 2- समाज में फैली कुरीतियों अंध विश्वास ऊँच-निच जात-पात छुआ-छूत विधवा/परित्याकर्ता दहेज प्रथा क्षेत्रावाद आदि अज्ञानता/बुराईयों को दूर कर जन कल्याण हेतु कार्य करना
 - 3- भारत की राष्ट्रीय एकता विरासत को गौरवान्वित करने हेतु प्रयास करना व्यवस्था भरे वातावारण में उत्पन्न व्यक्तियों की परेशानियों के निवारण हेतु विभिन्न धार्मिक आयोजन कराना।



Ruthie

Buron



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EH 295388

3

- 6 SEP 2010



- 4- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियन्त्रण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण व वृक्षारोपण हेतु प्रयास करना ।
- 5- समाज में निर्धन, असहाय, अनाथ, गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र, भोजन, मकान-चिकित्सा, पेय-जल, पुस्तक, स्कूल ड्रेस इत्यादि प्रदान कराना व वृद्धा पुरुष व महिलाओं, प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों की सहायता एवं जनकल्याण हेतु प्रयास करना
- 6- देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किसानों को कृषि सुधार, उन्नत बीज व कृषि के लिए भूमि उर्वक शक्तियों में वृद्धि एवं उसर सुधार के लिए निम्न स्तर तक उपायों के बारे में कृषकों को शिक्षित करना।
- 7- धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास के कार्यों का न्यासीगणों की इच्छानुसार देश-विदेश के विभिन्न स्थानों पर विस्तार करना। सामाजिक कल्याणकारी कार्य हेतु के सभी वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकताओं एवं अपनी क्षमतानुसार प्रोत्साहन सहायता, सहयोग एवं जागरूकता प्रदान करना ।
- 8- समाज के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाए बनाना अपनी संस्था के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी/गैरसरकारी तन्त्र, समाज सेबी व्यक्तियो/संस्थनाओं से समन्वय स्थापित करना तथा दान हेतु/अनुदान व सहायता लेना-देना आदि।

K.G.M.

Ratty

Suj

Purn







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 SEP 2018

4

EH 295389

- 9- समाज में बेरोजगारी की समस्या से निपटाने हेतु समाज के सभी धर्मों व जातियों के निर्धन वर्ग के पुरुष व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षणों जैसे-सिलाइ- कढाई- पेटिंग, व्युटिपारलर ,फोटो ग्राफी,धूपवत्ती, अचार, मुरब्बा, चटनी, आयुर्वैदिक चूर्ण, मंजन, सुरमा, दुध उत्पादन और डिजिटल भारत के निर्माण मे कम्प्यूटर/मोबाइल आदि का प्रशिक्षण व प्रमाण पत्र निःशुल्क देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
- 10- समाज के सभी वर्गों के स्वास्थ्य व दृढ़ इच्छाशक्ति हेतु योग व देशी जड़ी बुटियों को प्रोत्साहन करना।
- 11- बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के प्रति जागरूक कराना
- 12- महिला उत्थान हेतु जागरूक कार्य करना।
- 13- वृद्धाओं की समस्याओं का निवारण कराना।
- 14- गरीब लड़कियों की शादी कराना व अनुदान देना।
- 15- ग्रामीण जनता को शिक्षा प्रचार प्रसार कर अज्ञानता से दूर कर सजग नागरिक बनाना।
- 16- निराश्रित महिलाओं हेतु पेंशन व रोजगार उपलब्ध कराना।
- 17- अपारम्परिक ऊर्जा श्रोतों संयंत्रों गोबर गैस सौर ऊर्जा पर आधारित कार्य क्रमों का प्रदर्शन कराना।
- 18- संक्रमिक रोगों जैसे-एडस(एच० आई० बी०), हेपेटाईटिस बी , टी०बी० इत्यादि रोगों की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना।



Rajeev

Bijon

Suj



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

EH 295390

- 6 SEP 2018

- 19- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता सद्भावना एवं विश्व बन्धुत्व के प्रति चेतना व जाग्रति का विकास करना।
- 20- स्वस्थ भारत सामर्थ्य भारत स्वदेशी जागरण नशा मुक्त आनंदोलन आदि के लिए संकल्प लेना व नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना कराना व उनका संचालन करना।
- 21- जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा निर्धारित कार्यालयों एवं मंत्रालयों में निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण कर समाचार पत्र पत्रिका न्यूज चैनल का संचालन करना।
- 22- विभिन्न धार्मिक स्थलों को बनाने के लिए दान अनुदान लेना-देना। विभिन्न धार्मिक स्थलों व मेलों में निःशुल्क भण्डारे व शीतल जल आदि की व्यवस्था करना।
उपरोक्त उद्देश्यों से भिन्न मानव समुदाय की सहायता के लिए आवश्यक अन्य जनउपयोगी सेवा कार्यों को कराना।

धन संबंधी नीति-

न्यास के रख-रखाव एवं आवश्यक व्यय हेतु सभी संस्था सदस्यों द्वारा प्रारम्भिक धनराशि रु 10000 (दस हजार रुपये) मात्र एकत्र की गयी है। जिसमें न्यास गठन संबंधी कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। भविष्य हेतु धन की व्यवस्था न्यास के उद्देश्यों में समाहित है। न्यास का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। न्यासगण दान अनुदान योगदान सहायता सहयोग किसी भी व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी सरकार या अन्य धर्मार्थ एवं जनहित




Rajkig



Rajiv



Suj





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

EH 295387

- 6 SEP 2018

प्रयोजनार्थ संस्थाओं से नकद धनराशि चल या अचल सम्पत्ति बिना किसी शर्त व बंधन के प्राप्त कर सकते हैं। न्यासीगण न्यास की आय को लाभार्थियों के लाभ और न्यास के निमित्त प्राप्त/आय और व्यय करेंगे।

न्यासीगण के कर्तव्य एवं अधिकार

क- न्यास की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का न्यास के लाभार्थ प्रबन्ध करना एवं उसे किसी भी बाद-विवाद से बचाने का अधिकार रहेगा।

ख- न्यास हेतु कर्मचारी नियुक्ति करना उनकी सेवा पारिश्रमिक वेतन पद से हठाने आदि शर्त तय करना।

ग- न्यास की निधियों को बैंक/कम्पनियों/चल/अचल/सम्पत्ति में न्यास के लाभार्थ निवेश करना।

घ- न्यास की सम्पत्ति को न्यास के विकासार्थ लाभार्थ पुनः निवेश करने हेतु बेचना खरीदना बदलना हस्तान्तरण करना रद्दे बदल का अधिकार न्यासियों को होगा।

ड- बैंक ऋण इत्यादि हेतु न्यास की सम्पत्ति को बंधक रखने का अधिकार भी मात्र न्यासियों को होंगा।


च- न्यास के निमित्त सुचारू से संचालन के लिए बैंक खातें खोलने।



Reedig



Sewj



छ- न्यास की सम्पत्ति के हितार्थ न्यास सम्बन्धी समस्त व्यय-भार जिम्मेदारियों देनदारियों एवं न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्धन और प्रशासन संबंधी आकस्मिक व्ययों का भुगतान करना।
ज- न्यास के किसी भी उददेश्यों हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी मात्र न्यासीगणों को अधिकार होगा।

झ- कोई भी न्यासी मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष को एक महीने का नोटिस लिखित रूप में देकर स्वेच्छा से न्यास से सेवानिवृत्त हो सकता है और न्यासी अपने पद पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है।

ट- जब भी कोई अचल सम्पत्ति न्यास हेतु खरीदी जाएगी वह न्यास की अपनी सम्पत्ति होंगी। न्यासीगणों व सदस्यों का उस सम्पत्ति पर कोई सरोकार या आधिपत्य नहीं होगा। यह न्यासी सम्पत्ति धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ होगी। सम्पत्ति के क्रय-विक्रय या इससे संबंधित अन्य किसी विलेख पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष का होगा।
ड- समस्त न्यासीगणों को विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से न्यास लाभार्थ नियमावली में संशोधन का अधिकार होगा।

न्याय में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष

चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में न्यास के संस्थापक सदस्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से पूर्व या पश्चात भी चुनाव कराया जा सकेगा।

सूचना न्यास की वार्षिक बैठक 10 दिन तथा विशेष बैठक 24 घण्टे पूर्व की सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

अध्यक्ष-

क- न्यास का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा तथा न्यास की उन्नति हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा जिस अन्य न्यासी विचार करके अपनी सहमति प्रदान करेंगे।

ख- न्यास के समय-समय पर होने वाले अधिवेशन एवं बैठकों की सहमति पर सर्वमान्य होगा।

ग- अध्यक्ष का निर्णय व्यवस्था के प्रश्न पर अन्य न्यासियों की सहमति पर सर्वमान्य होगा।



घ- किसी सदस्य के विरोध आरोप सिद्ध होने पर उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार न्यासियों की सहमति से होगा।

इ- ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों को अनुमति प्रदान करने या न करने का अधिकार न्यासियों की सहमति प्राप्त करके की होगा।


ई- न्यास से संबंधित दस्तावेज प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना तथा कानूनी कार्यवाहियों में न्यास की पेरवी करना या अन्य न्यासी सदस्यों की सहमति से अन्य किसी को इस हेतु नियुक्त करना।



Rakesh



Sajid



सचिव -

- क- न्यास की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों हेतु जिम्मेदार होगा एवं न्यास का उचित रूप से प्रबन्ध करेगा।
- ख- न्यास द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों का क्रियान्वयन करना।
- ग- न्यास की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- घ- न्यास के हिसाब-किताब यथा दान-अनुदान/सहायता/चन्दा आदि प्राप्त करना एवं एवं समुचित रजिस्टर में अंकित करना।
- इ- न्यास के अभिलेख व्यवस्थिति रूप से तैयार करना व रखना। एवं समस्त अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
- च- वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना एवं न्यास के उद्देश्य में निहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु तन्त्र से समन्वय स्थापित कर उद्देश्यों की पूर्ति करना।
- छ- अन्य वह समस्त कार्य जो न्यास हित में आवश्यक हों जो उद्देश्यों में लिखने से रह गये हो उन्हें करना।

KGM.



Reddy



Pavan



Sayj



कोषाध्यक्ष-

न्यास की आय-व्यय का हिसाब किताव रखेगा व कोष का प्रभावी होगा उन कार्यों का सम्पादित करेंगा जिन्हें कार्यकारिणी निर्देशित करे। जरूरत के लिए रूपये 5000/- तक अपने पास रखने का अधिकार रहेगा। धनराशि की सीमा जरूरत के हिसाब से न्यासियों की इच्छा से बढ़ाई-घटाई जा सकती है।

रिक्तियों का भरा जाना-

न्यासियों को किसी भी कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति को न्यासी के उत्तराधिकारी द्वारा भरा जायेगा। उत्तराधिकारी के न्यास में सम्मलित होने से मना करने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को ही न्यासी सदस्यों की सहमति से भरा जायेगा।

न्यास का कोष-

समस्त धनराशि को सुरक्षापूर्वक रखने हेतु न्यास का खाता नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खोलाजायेगा और इसका संचालन अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा एवं हर व्यय का बाउचर बनाया जायेगा।

लेखा परिक्षण-

न्यास के आय-व्यय का परिक्षण प्रतिवर्ष किसी योग्य ऑफिटर से कराया जायेगा तथा जाँच के बाद इसकी रिपोर्ट पर बैठक में बिचार किया जाएगा।

विधिक कारवाही-

न्यास की सभी कानूनी कार्यवाहियों मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के पदनाम से की जायेगी। तथा न्यास के विरुद्ध की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही का अधिकार क्षेत्र प्रधान कार्यालय बल्लमगढ़ (मुरादाबाद) से होने वाले न्यायलय मुरादाबाद में होगा।

न्यास के अभिलेख-

- क- कार्यक्रम सूचना रजिस्टर
- ख- कार्यवाही रजिस्टर
- ग- स्टाक रजिस्टर
- घ- सदस्यता रजिस्टर/बुक
- ड- कैश बुक/आय-व्यय रजिस्टर

न्यास का विघटन/समापन-

यदि किसी विषय पर न्यास में विवाद होता है तो उसमें मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं न्यासियों का सम्मलित निर्णय मान्य होगा एवं यदि अपरिहार्य कारणों से न्यास का विघटन/समापन करना पड़ता है तो न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का निस्तारण न्यायलय/धर्मार्थ आयुक्त/तत्कालीन कानून किया जायेगा।



न्यास की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग-

न्यास की सदस्यता हेतु कोई भी व्यक्ति जो बालिंग हो और न्यास का सदस्य बनने के इच्छुक हो निम्न प्रकार सदस्यता शुल्क अदा करके किसी भी वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। सदस्यता शुल्क मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति के बाद जमा होगा। संस्थापक सदस्यों द्वारा समय-समय पर तय की गयी धनराशि शुल्क रहेगी।

साधरण सदस्य-

ऐसे महानुभाव जो प्रतिवर्ष शुल्क के साथ साधारण सदस्य की सदस्यता हेतु आवेदन करेंगे तब मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष न्यासियों की सहमति के उपरान्त एक वर्ष की सदस्य बन सकेगा।

सदस्यता की समाप्ति-

निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी :-

- 1- न्यास के विरुद्ध कार्य करने पर।
- 2- निर्धारित शुल्क जमा न करने पर।
- 3- न्यायलय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
- 4- सदस्यता ट्रांसफर नहीं होगी और न ही पैसा रिफण्ड होगा।
- 5- किसी सदस्य के दिवालिया होने या मृत्यु हो जाने पर।
- 6- कोई भी पदाधिकारी पद या जन कल्याण वेलफेर ट्रस्ट के लैटरपैड या सामग्री का कुछ गलत इस्तेमाल करता है तो उसका वह खुद जिम्मेदार होगा।
- 7- संस्थापक सदस्यों की सहमति।

वास्ते यह न्यास विलेख घोषण तहरीर कर दिया है। ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

ह०

मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष

ह०

सचिव

ह०

कोषाध्यक्ष

ह०

सदस्य

साक्षी नं० ।



गौतम पुत्र मेधा राज निंग्राम
बल्लम गढ़ पो० सुरजनगर
तहाठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद
मो०नं० 7500 139 341
आ०सं० 7657 0730 8 269



यह न्यास विलेहा आज दिनांक 14-09-2018 को व मुकाम ठाकुरद्वारा व इकार

न्यासीण व मसवदे इलेन्ड्र कुमार सडवोकेट राम कम्बूनिकेशन व्ह स्टैन्ड सुरजनगर
के राजपीरसिंह ने टाइप किया।

Q 02
9556186841

साक्षी नं० २




उपदेश कुमार पुत्र नन्दकिशोरसिंह
निंग्राम उसमानपुर पो० सुल्तानपुरदोस्त
तहाठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद
मो०नं० 9759 2548 12 आ०सं० 5959 5959
0999




Rudra



Rudra



Saj



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री खुशीराम सिंह अध्यक्ष, पुत्र श्री जसराम सिंह

निवासी: नि० ग्राम बल्लमगढ़ पो० सुरजननगर तह०
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी 2: 1



श्री राधेश्याम कोषाध्यक्ष, पुत्र श्री भूरे सिंह

निवासी: नि० ग्राम व पो० लौगींकलां तह०
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी 2: 2

K.Singh



श्री पवन कुमार सचिव, पुत्र श्री जसराम सिंह

निवासी: नि० ग्राम बल्लमगढ़ पो० सुरजननगर तह०
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी 2: 3

Pawar



श्रीमती संगीता सदस्य, पती श्री खुशीराम

निवासी: नि० ग्राम बल्लमगढ़ पो० सुरजननगर तह०
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: गृहणी

Sgy



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गौतम, पुत्र श्री मेघराज

निवासी: नि० ग्राम बल्लमगढ़ पो० सुरजननगर तह०
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

जीराजभट्ट




श्री उपदेश कुमार, पुत्र श्री नन्दकिशोर सिंह

निवासी: नि० ग्राम उस्मानपुर तह० ठाकुरद्वारा जिला
मुरादाबाद

व्यवसाय: वकालत

UW

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

न्यास पत्र

प्रतिपल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 280

श्री खुशीराम सिंह अध्यक्ष,
पुत्र श्री जसराम सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: निरोगम बल्लमगढ़ पोरा सुरजनगर तहसील ठाकुरद्वारा जिला
मुरादाबाद

98m



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/09/2018 एवं 03:36:33
PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

०५

मसरूर हुसैन
उप निबंधक : ठाकुरद्वारा
मुरादाबाद
15/09/2018

मसरूर हुसैन लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



① H

مسارہ حسین

उप निबंधक : ठाकुरद्वारा

मुरादाबाद

मसरूर हसैन लिपिक

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



बही संख्या 4 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ 131 से 152 तक क्रमांक
30 पर दिनांक 15/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

४०५
मसरूर हुसैन

उप निबंधक : छाकुरद्वारा
मुरादाबाद
15/09/2018

